222

R-3623-III/13

समक्षः- न्याया०श्रीमान म०प्र०राजस्व मंडल ग्वालियर म०प्र०

(१) शंकरलाल बल्द बाबूलाल रजक आयु लगभग ५० वर्ष

(२) बलराम बल्द बाबूलाल रजक आयु लगभग ४२ वर्ष

दोनों का पेशा - काश्तकारी , साकिन बिलेहरा पुलिस चौकी

बिलेहरा थाना सुरखी तहसील व जिला सागर म०प्र०

--- आवेदकगण

|| विरूद्ध ||

(१) वीरनलाल रजक पिता रगवर रजक

निवासी- ग्राम बिलेहरा तहसील व जिला सागर

(२) नारायण बल्द बाबूलाल रजक

निवासी- ग्राम बिलेहरा तहसील व जिला सागर

(३) श्रीमति पुत्तोबाई पत्नि पुट्टई रजक पुत्री स्व० बाबूलाल रजक

निवासी- तमेरा मुहल्ला तहसील देवरी जिला सागर

(४) श्रीमति ललताबाई पुत्री स्व० बाबूलाल रजक

निवासी- ग्राम जरारा तहसील व जिला सागर

(५) श्रीमति संतोषी पुत्री बाबूलाल रजक

निवासी- ग्राम सानोधा तहसील व जिला सागर

(६) नन्हेंभाई रजक पिता रामसिंह रजक

(७) भागीरथ पिता राम सिंह रजक

(८) रामदुलैया बेवा राम सिंह रजक

सभी निवासी- ग्राम बिलेहरा तहसील व जिला सागर

-- अनावेदकगण

राजस्व पुनरीक्षण क्र० प्रस्तुत दिनांक

पुनरीक्षणअंतर्गत धारा ५० म०प्र० भू- राजस्व संहिता १९५९

पुनरीक्षण का संक्षिप्त विवरण

--२--

R-3623-15/13

उपरोक्त पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त सागर संभाग सागर श्री जी०पी०कबीरपंथी साहब सागर के राजस्व अपील क्रमांक ३६२-अ।२७ वर्ष १२-१३ पक्षकार शंकर + १ अन्य विरुद्ध वीरनलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक १७-७-२०१३ अवधि बाह्य मानते हुए निरस्त करने के आदेश के विरुद्ध यह पुनरीक्षण निम्न न्याया० के आदेश को निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत है ।

प्रकरण के तथ्य

(१):- यह कि न्याया० श्रीमान नायब तहसीलदार सर्किल सुरखी सागर के समक्ष मौजा बिलेहरा प०ह०नं०-३७ रा०नि०मं०-सुरखी के भूमि खसरा नंबर ६४१ , ६४२ , ६६४ , ६६५, ६४०, ६६२ ,कुल रकबा २२-४५ एकड़ भूमि के बंटवारे का आवेदन पत्र पेश किया था जो विभिन्न अपीलीय न्याया० से पुनः मान० अधिनस्थ न्याया० नायब तहसीलदार सर्किल सुरखी को गुण दोषों पर निराकृत किए जाने अव० हेतु प्रत्यावर्तित किया गया था । अधिनस्थ न्याया० को उक्त भूमि बराबर बराबर १।३ भागों में कब्जा के अनुसार बंटवारा करने हेतु स्वीकृत किया गया था । पूर्व में बहिन प्रेमबाई को उसका हिस्सा दे दिया गया था वह भूमि उसने अन्य को बेंच दी है इस कारण १।३ - १।३ किया गया था मौके पर वीरनलाल ने पटवारी के फर्द बंटवारे पर जानबूझकर दस्तखत नहीं किए थे जिसके विरुद्ध यह टाईम बाई अपील एस०डी०ओ० के न्याया० में की गई थी । उसमें पारित आदेश दिनांक ३०-१०-०१२ से परिवेदित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई थी ।

(२):- यह कि आवेदकगण ने न्याया० श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय सागर की प्रथम अपील प्र०क्रं०६५-अ।२७ वर्ष २००८-२००९ के पक्षकार वीरनलाल विरुद्ध बाबूलाल पिता रगवर रजक व अन्य के अपीलीय प्रकरण में पारित आदेश दिनांक ३०-१०-०१२ के आदेश से परिवेदित होकर निम्नलिखित सत्यात्मक एवं विधि परक तथ्यों के आधार पर द्वितीय अपील प्रस्तुत की थी ।

--३--

R 3623. III/13 (भाग)

27.12.16.	आवेदक को सुनवाई के पूर्व में भी कई बार अवसर दिया गया परन्तु न तो आवेदक और न ही उनके वकील उपस्थित हुये अतः स्पष्ट है कि आवेदकों को अपने प्रकरण को निरंतर रखने में कोई रुचि नहीं है अतः प्रकरण अरुचि के अभाव में प्रकरण खारिज कर दिया जाता है। पक्षकार सूचित हों। अभिलेख [illegible] कार्यालय भेजा जावे।
R/18	तहसीलदार

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.